प्रारूप " ब "

देखिये नियम 9(3)(4) और (6)

कार्यालय जिला कलक्टर, जयपुर

कमाक आर 18बी (6) 2007 / सस्थागत / 13230 दिनाक:- 15/10/07

संपरिवर्तन आदेश

डॉ0 स्वरूप नारायण मेमोरियल एज्युकेशन एण्ड रिसर्च सोसायटी, जरिये सचिव श्री साकेत माथुर पुत्र श्री सतीश नारायण माथुर निवासी स्वरूप विला 62 ग्यान विहार जनपथ निर्माण नगर, जयपुर के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनो के लिए सपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है।

1–आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता / पति के नाम सहित पूरा पता।	डॉ0 स्वरूप नारायण मेमोरियल एज्युकेशन एण्ड रिसर्च सोसायटी, जरिये सचिव श्री साकेत माथुर पुत्र श्री सतीश नारायण माथुर निवासी स्वरूप विला 62 ग्यान विहार जनपथ निर्माण नगर, जयपुर
2–क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है।	नहीं
3–सपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा:–	
(अ) ग्राम / ग्राम पंचायत / तहसील का नाम	ग्राम व ग्राम पंचायत निनोडिया तह0 चाकसू जिला जयपुर।
(ब) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल	ख0नं0 1580 रकबा 0.45 हेक्टेयर ख.नं. 1586 / 2552 रकबा 0.34 हेक्टेयर कुल रकबा 0.79 हेक्टेयर
(स) प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए सपरिवर्तित क्षेत्रफल(हेक्टे या व.मी. में)	ख0नं0 1580 में 4500 व0मी0 एवं ख.नं. 1586 / 2552 में 3400 व0मी0 कुल सपरिवर्तन किया गया क्षेत्रफल 7900 व0मी0
4–सपरिवर्तन का प्रयोजन	संस्थानिक(Institutional) प्रयोजनार्थ
5–संदेय प्रीमियम की दर	500 / –रू0 प्रति वर्गमीटर
6–चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकन।	चा.नं. 377 दि0 1.10.07 से राशि 39,500 / –
7–चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम।	नही
8–चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम।	नही

SWARUP COLLEGE OF EDUCATION

9–नगर आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया गया है।	नहीं
10–अन्य विशिष्टियां, यदि कोई हो।	राजकीय स्वीकृति क्रमांक प 2(32)राज/भूरू/07 **दिनांक 13.8.07 के क्रम में।**

11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा:–

(1) उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम का समपहृत हो जायेगा।

(3) नियम–4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।

(4) लोकोपयोगी प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नही किया जायेगा।

(5) आवेदित भूमि में एप्रोच खसरा नम्बर 1581/2550 एवं 1580/2551 में से होगी। इन खसरों की खातेदार द्वारा आवागमन हेतु भूमि का दानपत्र संस्था के पक्ष में रजिस्टर्ड करा दिया गया है।

(6) निकटस्थ स्थानीय निकाय की उपविधियों तथा शिक्षण संस्थान के निर्माण बाबत निर्धारित मापदण्डोंनुसार ही शिक्षण संस्थान का निर्माण कार्य कराया जा सकेगा। यदि शिक्षण कार्य यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन अथवा टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित हो तो उनके दिशा निर्देशों के अनुसार निर्माण कराना होगा।

(7) शिक्षण संस्थान प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित कुल भूमि का 40 प्रतिशत क्षेत्र बच्चों की खेलकूद की व्यवस्था एवं पार्क, वाहन पार्किंग आदि के लिए खुला छोडना होगा।

(8) राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प6(6)राज–6/92/पार्ट/23 दिनांक 17/07 की पालना में नियम 2007 के नियम 9(2) के अंतर्गत गठित समिति द्वारा नक्शे अनुमोदित कराना होगा।

ह०

जिला कलक्टर,

जयपुर।

क्रमांक:– सन/ 13231-36

दिनांक:– 15/10/07

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1–सम्भागीय आयुक्त महो० जयपुर सम्भाग, जयपुर।

2–प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा, कलेक्ट्रेट, जयपुर।

3–तहसीलदार, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।

4–सरपंच ग्राम पंचायत नीमोडिया प.स. चाकसू।

5– डॉ0 स्वरूप नारायण मेमोरियल एज्युकेशन एण्ड रिसर्च सोसायटी, जरिये सचिव श्री साकेत माथुर पुत्र श्री सतीश नारायण माथुर निवासी स्वरूप विला 62 ज्ञान विहार जनपथ निर्माण नगर, जयपुर

6–आदेश/गार्ड पत्रावली।

अति0 कलक्टर(राजस्व)

जयपुर।

SWARUP COLLEGE OF EDUCATION